

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०— 44/2022-23

### —:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक— 430, दिनांक— 15.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. जुड़वा हेम्ब्रम, 2. राजेश हेम्ब्रम, 3. गुलाम हेम्ब्रम, सभी के पिता— स्व० सागर हेम्ब्रम, साकिम— कुलबेडा, थाना— बरवाअड़डा, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— करमागोड़ा, मौजा नं०— 51, गत खाता सं०— 19, गत प्लॉट सं०— 226, नया खाता सं०— 25, नया प्लॉट सं०— 214, रकवा— 08 डिसमील भूमि क्रेता चमेली देवी, पति— जीतन किस्कु, साकिम— करमागोड़ा, थाना— बरवाअड़डा, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल हैं तथा दोनों एक ही थाना— बरवाअड़डा जिला— धनबाद के निवारी हैं। जमीन रैयती खाते की है, विक्री के पश्चात् आवेदक के पास 777 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन विक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद।